17 देशों के 43 प्रतिभागियों ने देखी राजस्थान विधानसभा, विधायी मसौदे पर भी चर्चा

स्पष्ट और सरल भाषा में जनता की इच्छाएं प्रतिबिंबित करने वाला हो विधायी मसौदा : वासुदेव देवनानी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि कानून निर्माण में विधायी मसौदा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि विधायी मसौदे में स्पष्ट व सरल भाषा में जनता की इच्छाएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए। स्पीकर देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया अत्यन्त सावधानी पूर्वक और पारदर्शी तरीके से की जाती है। कानून में सर्वोत्तम गुणवत्ता के सभी पहलुओं का समावेश सुनिश्चित किया जाता है। स्पीकर देवनानी शनिवार को यहां राजस्थान विधान सभा में इन्टरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्रॉफ्टिंग विषय पर विधायी मसौदा तैयार करने के लिए 37 वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। देवनानी ने बांग्लादेश, भूटान, घाना, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, जाम्बिया सहित 17 देशों के 43 प्रतिभागियों से परिचय किया और उनके साथ सामूहिक चित्र भी कराया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय के पार्लियामेन्ट्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसिस द्वारा आयोजित हुआ।

स्पीकर वासुदेव देवनानी शनिवार को राजस्थान विधानसभा में 17 देशों के 43 प्रतिभागियों से रूबरू हुए। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी मौजूद थे।

■ **गुलाबी शहर के गुलाबी सदन में विधानसभाध्यक्ष ने विदेशी प्रतिभागियों को बताई जनहित में विधायिका की भूमिका**

स्पीकर देवनानी ने कहा कि किसी भी विधेयक का प्रस्ताव की प्रक्रिया तीन मुख्य चरणों से गुजरती है। उन्होंने कहा कि विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय चरण में विधेयक पर गहन चर्चा के साथ मसौदे को बेहतर बनाने के लिए अक्सर विशेष समितियों की मदद से हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण कराये जाने के पश्चात सदन मतदान के लिए एकत्रित होता है। कानून को सशक्त, समझने में आसान और वास्तव में जनता के हित में बनाने के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाता है। स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग ही न्याय का सार होता है।

देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा लोकतंत्र का सच्चा मंदिर है। यहां सभी का एक साथ विकास करने और महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून पारित कराये जाते है। विधान सभा अपने गौरवशाली स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रही है। राज्य के निर्माण के शुरुआती दिनों से लेकर आज के डिजिटल शासन के युग तक विधान सभा में लाखों लोगों के सपनों को कानून में तब्दील किये जाते है। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा का महत्वपूर्ण हिस्सा आधुनिक डिजिटल संग्रहालय है। यह संग्रहालय जनता विशेषकर युवाओं से जुड़ने का एक सेतु है। देवनानी ने विदेशी प्रतिभागियों से कहा कि राजस्थान विधान सभा के वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों के साथ चर्चा विधायी ज्ञान को बढ़ाएगी। ऐसे कार्यक्रम किताबों से परे जाकर अनुभव जानने के दुर्लभ अवसर हैं और संसदीय प्रक्रिया का वास्तविक ज्ञान भी होते हैं। कानून बनाना शासन की वैश्विक भाषा है, जिसे साझा करके हम सभी दुनियाभर में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहभागी बनेंगे।

इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉ. गोपाल शर्मा, चन्द्रभान सिंह आक्या, कैलाश वर्मा, गुरवीर सिंह, डॉ. शिखा मील बराला मौजूद थे। राजस्थान विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, लोकसभा के प्राइड कार्यक्रम के निदेशक राजकुमार और कार्यक्रम निदेशक के. एम. चतुर्वेदी ने 37वें प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। भूटान की नेशनल एसेम्बली सचिवालय की विधायी अधिकारी फूर्पा डेमा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। तंजानिया, केन्या और मलेशिया के प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य के विषय, महिला आरक्षण, दल-बदल विरोध अधिनियम तथा प्राइवेट बिलों से संबंधित प्रश्न किए। प्रश्नों के उत्तर में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग एवं प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान ने विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करते हुए विधायी प्रक्रिया के व्यावहारिक पहलुओं को स्पष्ट किया। विदेशी प्रतिभागियों और विधायकों के मध्य सार्थक संवाद हुआ। लगभग एक घंटे चले संवाद में लोकतंत्र के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। विदेशी प्रतिभागियों ने राजस्थान विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय की सराहना की। उन्होंने संग्रहालय को ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक बताते हुए कहा कि इस प्रकार के संग्रहालय लोकतांत्रिक परंपराओं को समझने का प्रभावी माध्यम हैं। प्रतिभागियों ने ऐसे संग्रहालय की सभी देशों में आवश्यकता जताई।

राज्य वित्त निगम को रीको प्रशासन देगा 50 करोड़ रु. अंश पूंजी का सहयोग

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस रकम में से 20 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) द्वारा राजस्थान वित्त निगम को 50 करोड़ रुपये का अंश पूंजी सहयोग देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 20 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी गई है, जिससे निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलने लगी है।

जानकारी के अनुसार, यह निर्णय राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2024-25 की संशोधित बजट घोषणा के अनुरूप लिया गया है, जिसमें राजस्थान वित्त निगम के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार और रीको द्वारा 50-50 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया था।

■ **इस अंश पूंजी सहयोग के बदले राजस्थान वित्त निगम द्वारा रीको को समान मूल्य के इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे।**

रीको के निदेशक मंडल की स्वीकृति के बाद दोनों संस्थाओं के बीच शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट भी किया जा चुका है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से राशि जारी की जा रही है।

प्रथम किश्त के रूप में 10 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके थे, जबकि दूसरी किश्त के रूप में भी 10 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर दिए गए हैं। इस अंश पूंजी सहयोग के बदले राजस्थान वित्त निगम द्वारा रीको को समान मूल्य के इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे। यह व्यवस्था न केवल वित्तीय संतुलन बनाए रखेगी, बल्कि संस्थागत सहयोग को भी मजबूत करेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से राजस्थान वित्त निगम की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार को प्रोत्साहन मिलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। राज्य सरकार का यह निर्णय औद्योगिक आधार को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।

निवेशकों से ठगी करने वाले आरोपी को जमानत नहीं

महंगी गाड़ियों और हाई रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठने का मामला

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने निवेशकों को महंगी गाडियों और हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी बंशीलाल को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश बंशीलाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जमानत याचिका में कहा गया कि उसने डिजीटल करेंसी बनाने और लिस्टेड कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की थी। इसके अलावा उसने किसी प्रकार की ठगी नहीं है।

रजिस्ट्रेशन कर व्यापार करना अपराध नहीं है। इस व्यापार से उसे करीब 2.20 करोड रुपए प्राप्त हुए थे, जिसे उसने खुर्दबुर्द नहीं किए हैं। इसके अलावा वह सात माह से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील विजय सिंह यादव ने कहा कि आरोपी ने भ्रामक विज्ञापन कर हर निवेशक को महंगी कार देने का आश्वासन दिया और करीब 250 लोगों से 15 करोड रुपए प्राप्त किए। वहीं भारत सरकार को सूचित किए बिना डिजीटल करेंसी बनाई और ऑनलाइन करीब पांच करोड रुपए प्राप्त किए। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्य सरकार ने 1150 करोड़ रु. जारी किए

खरीफ 2025 में किसानों के 2237 करोड़ के दावों का त्वरित वितरण सुनिश्चित : कृषि मंत्री

जयपुर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 सत्र के लिए पंजीकृत 2.17 करोड़ बीमाधारकों को 1150.04 करोड़ रुपये की राज्यांश अनुदान राशि का भुगतान कर दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा।कृषि मंत्री ने बताया कि योग्य फसल बीमा पॉलिसीधारक किसानों को खरीफ 2025 के तहत देय लगभग 2237 करोड़ रुपये के दावों का शीघ्र, त्वरित एवं प्राथमिकता आधार पर वितरण किया जाएगा। इससे प्रभावित किसान परिवारों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी, जो उनकी आय सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना किसानों को असफल बुआई, बुआई से कटाई तक खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से क्षित तथा कटाई उपरांत 14 दिनों की अवधि में पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस पर पूर्ण बीमा लाभ प्रदान करेगी। राज्य सरकार दावों के सत्यापन को पारदर्शी, त्वरित एवं तकनीकी आधारित बनाने के लिए कटिबद्ध है, ताकि कोई किसान विलंब का शिकार न हो।

बताया जा रहा है कि किसानों द्वारा 466.14 करोड़ रूपये का प्रीमियम जमा करवाया गया है। किसानों पर प्रीमियम कम पड़े इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राज्यांश प्रीमियम अनुदान1150.04 करोड़ रूपये और केंद्र सरकार द्वारा राज्यांश प्रीमियम अनुदान 1150.04 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया हैं, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़े। कृषि मंत्री ने कहा कि "राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और जोखिमों से सुरक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध है। फसल बीमा योजना को और मजबूत बनाकर हर योग्य किसान तक लाभ पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।" यह कदम राजस्थान के किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने अक्षय तृतीया की बधाई दी

-कार्यालय संवादाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अक्षय तृतीया (19 अप्रेल) पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। यह तिथि नए कार्यों की शुरुआत और मांगलिक आयोजनों के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यफलदायी है।

शर्मा ने कहा कि प्रगतिशील और जागरूक समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आव्हान किया कि वे समाज में व्याप्त बाल-विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान दें।

होम लोन के बदले रखे गए मूल दस्तावेज खोने पर एलआईसी हाउसिंग पर हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-4 ने होम लोन के बदले रखे गए मकान के मूल दस्तावेज खोने को गंभीर सेवा दोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. 2.60 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।

आयोग ने कहा है कि विपक्षी बैंक मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पर उसकी ओर से मूल दस्तावेज खोने अंकित करे। इसके साथ ही बैंक मूल दस्तावेज खाने का प्रमाण पत्र भी जारी करे। इसके साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय समाचार पत्र में संपत्ति का विवरण देते हुए सूचना प्रकाशित कराए।

आयोग ने यह आदेश रविन्द्र नाथ पारीक व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में अधिवक्ता जगमोहन पारीक ने अदालत को बताया कि परिवादी ने मकान खरीदने के लिए विपक्षी से कुल 10.50 लाख रुपए का लोन लिया था और मकान के मूल दस्तावेज गिरवी रखे थे। लोक चुकता होने के बाद भी उसे कई दिनों तक मूल दस्तावेज नहीं लौटाए।

जब परिवादी की ओर से लीगल नोटिस दिया गया तो 18 सितंबर, 2020 को विपक्षी ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय से मूल दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी लेकर उसे दे दी। जबकि मूल दस्तावेजों के अभाव में सत्यापित कॉपी का कोई महत्व नहीं है। ऐसे में विपक्षी ने उसके मूल दस्तावेज खोकर गंभीर सेवा दोष किया है। इसलिए उसे मुआवजा दिलाया जाए।

बाघिन 'भक्ति' ने दो शावकों को जन्म दिया

जयपुर (कासं)। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में मादा बाघिन 'भक्ति' ने 18 अप्रैल की शुक्रवार देर रात दो स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। जन्म के बाद विशेष परिस्थितियों के चलते शावकों को चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है। उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिड़ियाघर जयपुर विजय पाल सिंह ने बताया कि जन्म के बाद लंबे समय तक बाघिन द्वारा शावकों को दूध नहीं पिलाने पर पशु चिकित्सकीय बोर्ड के निर्णय के अनुसार दोनों शावकों को मां से अलग किया गया। इसके बाद उन्हें तुरंत उद्यान के पशु चिकित्सालय में संचालित नियोनेटल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया। शावकों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद पशु चिकित्सा दल द्वारा उनकी देखभाल शुरू की गई।

■ **नाहरगढ़ जैविक उद्यान की टीम देखभाल में जुटी**

उपनिदेशक डॉ. अरविंद कुमार माथुर स्वयं शावकों की फीडिंग और स्वास्थ्य की सतत निगरानी कर रहे हैं। उद्यान प्रशासन ने शावकों की देखभाल के लिए तीन कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई है, जो आठ-आठ घंटे की पारी में उनकी निगरानी और देखरेख सुनिश्चित कर रहे हैं। फिलहाल दोनों शावक चिकित्सकों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

मुहाना मंडी में निरीक्षण

जयपुर। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मुहाना फल मंडी में शनिवार को औचक निरीक्षण किया। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मित्तल ने बताया कि फलों को हानिकारक रसायनों से पकाने की रोकथाम के लिए चल रहे विशेष अभियान के तहत मंडी में बड़े व्यापारियों के गोदामों का निरीक्षण किया गया।

कृषि उपज मंडियों में 21 करोड़ के विकास कार्य होंगे

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों में सुविधा विस्तार एवं आधारभूत संरचना निर्माण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मण्डियों में 21 करोड़ 26 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि उपज मण्डी समिति, चौमहला (झालावाड़), कुचामन सिटी, 'विशिष्ट श्रेणी' बारां, कोटा (अनाज) एवं प्रतापगढ़ में मण्डी यार्ड के निर्माण कार्य एवं विद्युत संबंधी कार्य करवाए जाएंगे।

इससे ना केवल कृषि उपज मण्डियों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा बल्कि अन्नदाता एवं व्यापारियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

गृह सचिव और पुलिस प्रशासन बताए पदोन्नति छोडने के चलते रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा गया?

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पदोन्निति के दौरान पद छोडने से रिक्त रहे पदों को उसकी साल की प्रतीक्षा सूची से क्यों नहीं भरा जा रहा है। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र कुमार मीणा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल की साल 2025-26 की पदोन्नित के दौरान 13 पुलिसकर्मियों ने पदोन्नित को अस्वीकार कर दिया। ऐसे में नियमानुसार खाली रहे पदो को इसी साल की प्रतीक्षा सूची से भरा जाना चाहिए। इस संबंध में 8 मई, 2020 को जारी स्टैंडिंग ऑर्डर में भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग प्रणाली से चयन के बाद रिक्त रहे पदों को उसी साल योग्यता परीक्षा के माध्यम से उसी साल की रिक्तियों में शामिल कर भरा जाएगा। इसके बावजूद भी इन पदों को आगामी साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए रिक्त पदों को अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरने को कहा है।

राजस्व अर्जन और मिनरल ब्लॉक के वार्षिक रोडमैप की कवायद में जुटा खनन विभाग

प्रदेश में बंद पड़ी खानों को पुनः चालू करके खनन कार्य शुरू करवाने के निर्देश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्य के माइंस विभाग ने वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्य संग्रहण की कवायद शुरु की है। वित्तीय वर्ष के दौरान मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों और प्लॉटों के तैयार करने से लेकर ऑक्शन तक का कलेण्डर बनाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने अधिकारियों को राजस्व वसूली के सभी संभावित स्त्रोतों पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा और अवैध खनन पर कारगर रोक के लिए मिनरल क्षेत्रों में डेलिनियेशन, प्लॉट या ब्लॉक तैयार करने और ऑक्शन की टाइमलाईन बनाते हुए रोडमैप तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में बंद पड़ी खानों में उत्पादन आरंभ कराने की कवायद की जाएं ताकि बंद खानों में खनन आरंभ होने से आर्थिक विकास, रोजगार और राजस्व के अवसर विकसित हो सके। एसीएस माइंस अपर्णा अरोरा शनिवार को खनिज भवन में विशिष्ट सचिव नम्रता वृष्णि, निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य के माइनिंग सेक्टर को देश का अग्रणी सेक्टर बनाने,

खनन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने शनिवार को अधिकारियों की बैठक ली।

■ **सरकार ने वर्ष 2026-27 में 14001 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा जाएंगे।**

राजस्व संग्रहण के कारगर प्रयास और मिनरल ब्लॉकों की नीलामी पर जोर देते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि माइंस विभाग राज्य के राजस्व में प्रमुखता से योगदान देने वाला विभाग है। हाल ही में समाप्त हुए वित वर्ष में 13 प्रतिशत विकास दर के साथ 10394 करोड़ रु. का रिकॉर्ड राजस्व संग्रहित किया है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 39 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 14001 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है। उन्होंने इसे चुनौती के रुप में लेते हुए राजस्व वसूली के सभी संभावित स्त्रोतों पर अभी से फोकस करते हुए राजस्व संग्रहण का कार्यालयबार मासिक रोडमैप बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व छीजत के सभी संभावित क्षेत्रों पर प्रभावी रोक लगानी होगी।

अपर्णा अरोरा ने वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए मिनरल खोज, डेलिनियेशन, मेजर और माइनर मिनरल्स के ऑक्शन के लिए प्लॉट और ब्लॉक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्री एम्बेडेड प्लॉट और ब्लॉक तैयार करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे नीलाम किये जाने वाले मिनरल ब्लॉक व प्लॉट शीघ्र परिचालन में आ सकेंगे। अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान व मुख्यकार्यकारी आरएसएमईटी आलोक प्रकाश जैन को इसके लिए प्रभारी अधिकारी बनाते हुए टाइम लाइन तय करते हुए मासिक रोडमैप बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टाइमलाइन व रोडमैप बनने से क्रियान्वयन में आसानी होने के साथ ही मोनेटरिंग व्यवस्था चाक चोबंद हो सकेगी।

विशिष्ट सचिव माइंस नम्रता वृष्णि ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजस्व संग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही प्रयास जारी रखने होंगे। निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रहण का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर ने बताया कि राजस्व वसूली व मिनरल ब्लॉक तैयार करने का जल्द ही रोडमैप जारी कर क्रियान्वयन आरंभ किया जाएगा।

बैठक में संयुक्त सचिव माइंस अरविन्द सारस्वत, अतिरिक्त निदेशक वाईएस सहवाल, विशेषाधिकारी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सुनील वर्मा, अधीक्षण खनि अभियंताओं में एनएस शक्तावत, डॉ. धर्मेन्द्र लोहार, प्रताप मीणा, जयगुरुबख्सानी, कमलेश्वर बारेगामा, एसपी शर्मा, ओपी काबरा, देवेन्द्र गौड, एनके बैरवा, सुनील शर्मा, अविनाश कुलदीप, सत्यनारायण कुमावत, एमई जयपुर श्याम कापड़ी, अधीक्षण भूविज्ञानी संजय सक्सैना, नितिन चौधरी, अतिरिक्त निदेशक आईटी शीतल अग्रवाल, एडीजी श्री गोपालाराम, एसजी नितिन चौधरी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

नारी शक्ति बिल पास नहीं होने पर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के लोकसभा में पारित नहीं हो पाने के मुद्दे को लेकर शनिवार को राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया।

बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरीं और विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ कदम बताया। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पहले पार्टी मुख्यालय पर एकत्र हुईं, जहां से चौमू सर्किल तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए आगे बढ़ीं। उनका कहना था कि यह विधेयक देश की आधी आबादी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध कर महिलाओं के हितों के प्रति अपनी नकारात्मक सोच उजागर की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि संसद में इस बिल के खिलाफ मतदान करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के प्रति कभी गंभीर नहीं रहे और केवल राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के मुद्दों का उपयोग करते हैं। प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार के बाद भी पार्टी ने आत्ममंथन नहीं किया और महिला सशक्तिकरण उनके लिए केवल एक नारा बनकर रह गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा ने विपक्ष के रवैये को अहंकार पूर्ण बताते हुए कहा कि सदन में बिल गिरने के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आपत्तिजनक थी। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं इस व्यवहार को नहीं भूलेंगी। साथ ही विपक्ष की महिला नेताओं प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव के रुख को भी निराशाजनक बताया। प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता गैना ने महिलाओं से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आ ान किया। उन्होंने कहा कि जब समाज की आधी आबादी संगठित होती है, तो कोई भी शक्ति उनके अधिकारों को दबा नहीं सकती। भाजपा नेताओं ने बताया कि 20 अप्रैल को जयपुर में प्रदेशभर से हजारों महिलाएं एकत्रित होकर इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करेंगी। फिलहाल इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

■ **भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि संसद में इस बिल के खिलाफ मतदान करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।**